भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

प्रपत्र सं. 3 सीपी

1	आवेदक का नाम, पता तथा पैन सं.	मैसर्स अवन्ति फीड्स लि., हैदराबाद, पैन-एएबीसीए 7365ई
2	कृषि विस्तार परियोजना का नाम	अवन्ति एक्वा कल्चर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर
3	कृषि विस्तार परियोजना का प्रयोजन	• फीड कन्वर्जन रेशो (एफसीआर) को बढ़ाने के बारे में किसानों को शिक्षित करना और बेहतर औसत दैनिक वृद्धि (एडीजी) होना; • अच्छी तालाब (पॉन्ड) प्रक्रियाओं पर इन्हें शिक्षित करना ताकि उत्तरजीविता दर में वृद्धि हो और अधिक आय सुनिश्चित हों। • यंत्रीकरण के लाभों और विश्व भर में झींगी (श्रिम्प) फार्मिंग के नवीनतम विकास पर किसानों को शिक्षित करना
4	आवेदन की संदर्भ संख्या और तिथि	फा.सं.203/22/2015 आ.क.नि-।।, दिनांक 27.05.2015 को प्राप्त हुआ।
5	कृषि विस्तार परियोजना को आरंभ करने की तिथि	पहले ही आरंभ की जा चुकी है। तथापि, अनुमोदन आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 35 गगग के तहत इस औपचारिक अधिसूचना जारी होने की तारीख से ही प्रभावी होगा।
6	कृषि विस्तार परियोजना की माह के हिसाब से अवधि	चल रही परियोजना
7	कर-निर्धारण वर्ष (वर्षों) जिनके लिए कृषि विस्तार परियोजना को अधिसूचित किया जा रहा है (तीन वर्षों से अधिक नहीं)	अधिसूचना के विधिवत जारी होने की तारीख से 31.3.2018 तक।
8	कृषि विस्तार परियोजना पर होने वाले संभावित कुल खर्च (भूमि अथवा भवन की लागत राशि से भिन्न)	आवेदक ने वित्त वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए क्रमश: 7,23,66,000/-रू.; 8,60,35,000/-रू. और 10,25,80,750/-रु. के व्यय का दावा किया है। तथापि, जहां तक वित्त वर्ष 2015-16 का संबंध है, धारा 35गगग के तहत दावा को कम किया जाएगा क्योंकि भारित कटौती को अधिसूचना के विधिवत जारी होने की तारीख से ही अनुमत किया जा सकता है।
9	कृषि विस्तार परियोजना के प्रत्येक लाभग्राही से प्राप्त की जाने वाली	शून्य

	राशि, यदि कोई हो,	

10. वे शर्तें जिनके अध्यधीन 'अवन्ति एक्वा कल्चर ट्रेनिंग एंड डेवलमेंट सेन्टर' नाम से कृषि विस्तार परियोजना को अधिसूचित किया जा रहा है, निम्नानुसार हैं:-

(i) कृषि विस्तार परियोजना को शुरू करने वाली अनुमोदित संस्था धारा 35 गगग की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचित कृषि विस्तार परियोजना की लेखाबहियां पृथक रूप से रखेगी तथा ऐसी लेखाबहियों की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे उल्लिखित स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किए गए अनुसार किसी लेखाकार से लेखा-परीक्षा कराएगी।

(ii) उपनियम (1) में उल्लिखित लेखा परीक्षा रिपोर्ट में लेखा-परीक्षक की कृषि विस्तार परियोजना के सम्बंध में अनुरक्षित लेखाबहियों के सही और उचित होने, कृषि विस्तार परियोजना के क्रियाकलापों की वास्तविकता तथा अधिनियम के संगत उपबंधों में विनिर्दिष्ट शर्तों के पूर्ण किये जाने अथवा नियमों अथवा नियम 6 ककघ के उपनियम (6) या उपनियम (9) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में उल्लिखित नियमों अथवा शर्तों को पूर्ण किए जाने के संबंध में की गई टिप्पणियां शामिल होंगी।

(iii) अनुमोदित संस्था प्रशिक्षण, शिक्षा, मार्गदर्शन अथवा वितरित की गई किसी सामग्री के लिए पात्र कृषि विस्तार परियोजना के अन्तर्गत किसी लाभग्राही से कोई राशि स्वीकार नहीं करेगी। किसानों के केवल प्रशिक्षण शिक्षा और मार्ग-दर्शन से संबंधित व्यय घटक को ही अनुमत किया जाएगा; इसके अतिरिक्त-

(क) प्रशिक्षुओं से कोई शुल्क या जमा राशि नहीं ली जाएगी;

(ख) प्रशिक्षुओं को उक्त विस्तार परियोजना के परिणामस्वरुप कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा;

(ग) उक्त परियोजना के अंतर्गत भवन/महाविद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान के रुप में किसी भी स्थायी ढांचे का निर्माण नहीं किया जाएगा;

(घ) आवेदक इस परियोजना के लिए किसी भी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध नहीं किया जाएगा।

(iv) अनुमोदित संस्था अधिनियम की धारा 35गगग के उपबंधों, आयकर नियमावली, 1962 के नियम 6 ककघ और इस नियम के अनुसार पात्र व्यय की कटौती के अलावा अधिसूचित कृषि विस्तार परियोजना से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ नहीं उठाएगी। अनुमोदित संस्था अपनी कृषीय विस्तार परियोजना कार्यकलाप/योजना को अपने उत्पादों के बांड नाम पर नहीं रखगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय एक्पोजर विजिट से जुड़े खर्चे निम्नलिखित शर्तों के अध्ययधीन होंगे:-

(क) केवल किसानों के प्रशिक्षण, शिक्षा और मार्गदर्शन से विशिष्ट और अनन्य रुप से सबंधित व्यय के अंगों को अनुमत किया जाएगा;

(ख) किसी एक व्यष्टिगत किसान को केवल एक ही विदेशी प्रशिक्षण दिया जा सकता है अर्थात किसी व्यष्टिगत किसान को एक बार विदेश में प्रशिक्षण मिलने पर वह बाद के नामांकन हेतु पात्र नहीं रहेगा;

(ग) विदेशी प्रशिक्षण, कंपनी के कारोबार से भिन्न सामान्य स्वरुप का होगा;

(घ) प्रशिक्षण के नाम पर कंपनी के उत्पाद के किसी डीलर/रीटेलर, कंपनी के कर्मचारी या उत्पाद की मार्केटिंग से जुड़े व्यक्तियों को विदेश नहीं भेजा जाएगा;

(ड.) किसानों को उनके प्रचालन की मात्रा से निरपेक्ष रहते हुए यादृच्छिक रुप से किए गए चयन के अनुसार उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा;

(च) इस अनुमोदन के मान्य रहने की अवधि के दौरान प्रत्येक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति विदेश में प्रशिक्षण पाने हेतु पात्र होगा;

(छ) विदेशी दौरे पर जाने की तैयारी के संबंध में होने वाला खर्च आवेदक द्वारा नहीं उठाया जाएगा।

(v) आवेदक कृषि मंत्रालय को उन किसानों की डेटाशीट प्रस्तुत करेगा जो इस परियोजना से लाभान्वित हुए हैं।

(vi) लाभग्राही से प्राप्त की गई राशि, यदि कोई हो, को घटाने के बाद सभी खर्चे (किसी भूमि की लागत के स्वरूप का व्यय न होने पर) (पोखर की लागत या पट्टे का किराया, खुदाई की लागत, आउटलेट तथा कैटवॉक खर्चों सहित) जिन्हें किसी पात्र कृषि विस्तार परियोजना को शुरू करने हेतु पूर्ण तथा अनन्य रूप से खर्च किया गया है, धारा 35 गगग के तहत कटौती के पात्र होंगे;

बशर्ते यह कि कृषि विस्तार परियोजना पर खर्च किया गया कोई व्यय जिसकी कर निर्धारिती को किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिपूर्ति की गई है या की जानी है, के लिए धारा 35 गगग के अंतर्गत कोई कटौती नहीं दी जाएगी।

(vii) जहां अधिनियम की धारा 35 गग के अन्तर्गत किसी कटौती का किसी कर-निर्धारण वर्ष हेतु दावा किया जाता है तथा उसे अनुमत किया जाता है तो ऐसे व्यय के संबंध में अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अन्तर्गत उसी कर-निर्धारण वर्ष अथवा अन्य किसी कर-निर्धारण वर्ष में कटौती अनुमत नहीं की जाएगी।

(viii) अनुमोदित संस्था द्वारा धारा 139 की उपधारा (1) के अन्तर्गत आय विवरणी को प्रस्तुत करने की नियत तिथि को या उससे पूर्व आयकर आयुक्त को या आयकर निदेशक को, जैसा भी मामला हो, निम्नलिखित सूचना भी प्रस्तुत करेगी, नामत:-

(क) लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ पूर्व वर्ष के लिए कृषि विस्तार परियोजना के लेखाओं के लेखापरीक्षित किए गए विवरण तथा धारा 35गगग की उपधारा (1) के अन्तर्गत दावा की गई कटौती की राशि;

(ख) पूर्व वर्ष के दौरान इसके द्वारा शुरू की गई कृषि विस्तार परियोजना पर टिप्पणी तथा चालू वर्ष के दौरान शुरू की जाने वाली कृषि विस्तार परियोजना का कार्यक्रम और ऐसे कार्यक्रम हेतु वित्तीय आबंटन; तथा

(ग) कर-निर्धारिती द्वारा पूर्व वर्ष के दौरान शुरू की गई कृषि विस्तार परियोजना की वास्तविकता के संबंध में कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से प्रमाणपत्र।

(ix) इस परियोजना के अंतर्गत कम्पनी की प्रोफाइल और उत्पादों पर एक अल्प सत्र को छोड़कर केवल उत्पाद निष्प्रभावी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

11. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अपना अनुमोदन वापस ले लेगा यदि अनुमोदित संस्था:-

(क) अपने क्रियाकलाप बंद कर देती है; अथवा

(ख) इसके क्रियाकलाप अवास्तविक पाए जाते हैं; अथवा

(ग) इसके क्रियाकलाप अधिनियम के सभी या किसी संगत उपबंधों अथवा नियमों के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं; अथवा

(घ) इसके क्रियाकलाप ऐसी सभी शर्तों अथवा उनमें से किसी भी शर्त के अनुसार

नहीं किए जा रहे हैं जिन शर्तों के अध्यधीन अधिसूचना जारी की जा रही है।

स्थान: नई दिल्ली,
दिनांक 30/6/2015

(रोहित गर्ग)
उप सचिव, भारत सरकार

(फा.स.203/22/2015-आ.क.नि.II)

अधिसूचना सं.55/2015

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, नई दिल्ली

प्रतिलिपि:

1. अवंती फीड्स लिमिटेड, जी-2 कॉनकॉर्ड अपार्टमेंट, 6-3-658, सोमाजीगुडा, हैदराबाद-500082
2. कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली
3. संबंधित प्रधान आयकर आयुक्त
4. संबंधित राज्य का कृषि विभाग
5. संबंधित जिले (जिलों) का कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (एटीएमए)
6. भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
7. प्रधान सीसीआईटी, मुम्बई को इस अनुरोध के साथ कि कर निर्धारिती के मामले में विवरणी दाखिल किए जाने हेतु नियत तारीख से 60 दिन के भीतर क्रम सं. 10 (viii) में दी गई शर्त के अनुपालन के बारे में बोर्ड को सूचित किया जाए।
8. संबंधित फाइल
9. विधि एवं न्याय मंत्रालय (सुधार अनुभाग), नई दिल्ली
10. प्रधान डीजीआईटी (प्रणाली), नई दिल्ली के कार्यालय को incometaxindia.gov.in वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
11. आईटीसीसी, के.प्र.क.बो (04 प्रतियां)
12. गार्ड फाइल

(रोहित गर्ग)
उप सचिव, भारत सरकार